न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— राजेन्द्र सिंह शेखावत, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—117/2021/225 आर.टी.एक्ट (2021/117)

1. सोभागचंद गढवाल पुत्र रामदयाल
2. ताराचंद गढवाल पुत्र रामदयाल
3. दौलत राम पुत्र रामदयाल
4. पुष्कर नारायण पुत्र श्री पृथ्वीराज
5. धर्मराज पुत्र श्री पृथ्वीराज
6. नरेन्द्र पुत्र अमरचंद
7. लक्ष्मीकांत पुत्र अमरचंद
8. मोहनलाल पुत्र छोटूलाल
9. हेमलता पत्नी श्री इंद्र

   समस्त जाति माली, निवासी—सामुदायिक भवन के सामने, गढी मालियान, अजमेर।

अपीलांटस

बनाम

1. रमेश पुत्र लक्ष्मी नारायण
2. गजराज पुत्र रमेश
3. सुनिता पत्नी रमेश
4. दिनेश पुत्र रमेश
5. प्रमोद पुत्र रमेश

   समस्त जाति माली, निवासी धान नाडी, बालूपुरा रोड अजमेर।
6. कौशल्या पत्नी जीतमल
7. मनिष पुत्र जीतमल
8. हीना पुत्री जीतमल
9. प्रियंका पुत्री जीतमल

   समस्त जाति माली, निवासीगण गली न0 3, विज्ञान नगर, अजमेर।
10. सोनू पत्नी रम्रेश पुत्री पृथ्वीराज
11. मुकेश पुत्र छोटूलाल
12. सुमित पुत्र इन्द्र
13. तरूण पुत्र इन्द्र

    समस्त जाति माली, निवासी सामुदायिक भवन के सामने, गढ़ी मालियान, अजमेर।
14. ब्रमा देवी पुत्री रामदयाल पत्नी श्री सज्जन सिंह गारोठिया, निवासी भोपों का वाड़ा सोफिया स्कूल के पीछे अजमेर।
15. मंजू देवी पुत्री रामदयाल पत्नी श्री विजय सिंह कच्छावा निवासी आई0वी0एम कॉलोनी, बालूपूरा रोड़, आदर्श नगर, अजमेर।
16. गुडडी देवी पत्नी श्री पृथ्वीराज सांखला पुत्री श्री अमरचंद जाति माली निवासी क्रिश्चयनगंज माली मौहल्ला अजमेर।
17. चमन देवी पुत्री श्री अमरचंद पत्नी श्री मोहनलाल अलूदिया निवासी कल्याणीपुरा तहसील व जिला अजमेर।
18. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, अजमेर, जिला अजमेर।

रेस्पोडेन्टस

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर विरूद्ध निर्णय दिनांक 10.02.2021 राजस्व वाद संख्या 59/2016

उपस्थितः–

1. श्री भीयाराम चौधरी, अभिभाषक अपीलांट.
2. श्री अभिषेक शर्मा, अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 1 से 5.
3. श्री रामस्वरूप यादव, अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 10,12 से 16.
4. श्री विकास पाराशर राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 18.
5. रेस्पोडेंट संख्या 6 से 9, 11 अनुपस्थित.
6.

निर्णय

दिनांकः–10.01.2023

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर के प्रकरण संख्या 59/2016 में पारित आदेश दिनांक 10.02.2021 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या 1 से 5 ने विवादित आराजीयात ग्राम थोक मालियान तृतीय तहसील व जिला अजमेर बाबत् एक राजस्व वाद उपखण्ड अधिकारी, अजमेर के न्यायालय में प्रस्तुत किया। उक्त वाद के साथ एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 आर0टी0एक्ट0 का प्रस्तुत किया जिसे उपखण्ड अधिकारी अजमेर ने अपने निर्णय दिनांक 10.02.2021 को को स्वीकार करते हुए अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमा दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर के प्रकरण संख्या 59/2016 में पारित आदेश दिनांक 10.02.2021 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।
3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। रेस्पोडेंट संख्या 6 से 9 व 11 बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं हुए।
4. अभिभाषक अपीलांट ने सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अतंर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर कथन किया कि उपखण्ड अधिकारी के निर्णय दिनांक 10.02.2021 न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की जा रही है जिसमें प्रार्थी की बडी भाभी सीता देवी का देहांत हो गया और उनके क्रियाक्रम मे व्यस्त हो गए और दिनांक 13.04.2021 को नवरात्रा स्थापना का अवकाश होने और दिनांक 14.04.2021 को डॉ0 भीम राम अम्बेडकर की जयंती का अवकाश होने से दिनांक 15.04.2021 को अभिभाषक से सम्पर्क किया अपील तैयार करवाकर बिना विलंब किए न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की जा रही है जो गुणावगुण पर सुनवाई किया जावे। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि प्रस्तुत मियाद प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अपील प्रस्तुती में हुई सदभाविक देरी को माफ किया जाकर अपील को गुणावगुण पर निर्णित किए जाने के आदेश प्रदान करावें।
5. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने बहस अपील में कथन किया कि जमाबंदी सम्वत 2020 से 2023 अनुसर नामान्तरण संख्या 24 दिनांक 23.02.1965 के तहत मूल सहखातेदार के मध्य विवादित आराजीयात का विभाजन कर राजस्व रिकार्ड में इंद्राज भी किया जा चुका है उक्त

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

Scanned with CamScanner

आराजीयात का विक्रय होना भी राजस्व रिकार्ड से सिद्ध है, और उक्त विवादित आराजीयात के खसरा नम्बर 9017 राजस्व रिकार्ड मे आबादी अंकित है, और प्रार्थी संख्या 1 ने स्व0 रामदयाल को अपना ससुर अंकित किया और प्रार्थी संख्या 2 से 4 ने नाना होने का कथन कर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 (1) के तहत दिनांक 20.12.2004 से पूर्व ही भूमियों का विभाजन होकर के मूल खातेदार द्वारा यदि अन्तरण किया गया और लगभग 50 वर्ष पश्चात कोई पक्षकार अपने हक व अधिकार की घोषणा करता है तो ना तो कोई प्रथम दृष्टया मामला है ना ही सुविधा का संतुलन रेस्पोडेंट संख्या 1 से 5 के पक्ष में है, तो अपूर्णीय क्षति कारित होने का प्रशन ही प्रतीत नहीं होता है। अपीलांट विवादित आराजीयात के रिकार्डेड खातेदार है जो पिछले 50 वर्षो से खातेदार काश्तकार होकर के काबिज काश्त चले आ रहें हैं कुछ आराजी का प्रार्थीगण द्वारा आबादी में कनर्वट करवाई और कुछ का आरजी का अंतरण किया गया, और रेस्पोडेंट का उक्त आराजी पर किसी प्रकार से कोई सरोकार नहीं है इसलिए रिकार्डेड खातेदार के खिलाफ किसी भी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है। विवादित आराजीयात के मूल खातेदार रामदयाल पुत्र श्री धन्नालाल का स्वर्गवास दिनांक 14.05.2007 को हुआ जिनका विरासत का नामांतरण संख्या 424 दिनांक 25.11.2008 को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो गया और रेस्पोडेंट संख्या 1 सावित्री देवी का देहांत दिनांक 04.11.2005 को अपने पिता स्व0 रामदयाल की मृत्यु से पूर्व हो गया तो हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत यदि प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकार जिन्दा है तो द्वितीय श्रेणी के उत्तराधिकारियों में कोई अधिकार अंतरनिहित नहीं हो सकता है और ना ही हो सकता है। रेस्पोडेंट संख्या 1 से 5 ने उपखण्ड अधिकारी अजमेर के समक्ष उदघोषणा एवं बंटवारा का दावा प्रस्तुत करने का अधिकार रखता है तो किसी भू भाग पर पिछले 50 वर्षो से कब्जे में नहीं है और ना ही रहने का प्रश्न उठता है और रेस्पोडेंट की माता का देहांत रेस्पोडेंट के नाना के देहांत से पूर्व हो चुका है इसलिए हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत उक्त आराजी रामदयाल के पूर्वजों से आई है और सावित्री देवी का स्वर्गवास सन् 2004 में होना बताते है। तो सावित्री देवी इस कोपार्शनर आराजी में किसी प्रकार का कोई हक अधिकार सरोंकर निहित नही था और ना ही उनके वारिसानों का है विशेषकर जबकि रामदयाल के जीवित रहते हुए सावित्री देवी कोई हक रेस्पोडेंट स्वीकार करते हैं यानि की सावित्री देवी के स्वर्गवास की तारीख के तब सावित्री देवी स्वयं ही खातेदार थी और ना ही कोई हक हिस्सा व सरोकार रखती थी और ना ही सावित्री देवी के कब्जे काश्त में रही है और ना ही कब्जा था, ना ही रामदयाल के जीवित रहते कब्जे में आ सकती थी, और ना ही पिछले 60 वर्षो से कब्जे में रहे हैं इसलिए रेस्पोडेंट का कोइ हक व अधिकार निहित नहीं है, व ना ही किसी प्रकार का हिस्सा आराजी में निहित है। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जावें प्रकरण संख्या 59/2016 में पारित न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर के आदेश दिनांक 10.02.2021 को निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

6. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम के जवाब/बहस में कथन किया कि अपीलाधीन आदेश की अपीलांट को शुरू से जानकारी थी अपीलांट ने जानबूझ कर मियाद बाहर अपील पेश की है अपीलांट ने मियाद प्रार्थना पत्र में जो कारण अंकित किए जो सदभाविक एवं संतोषप्रद प्रतीत नहीं होते हैं। अतः

Scanned with CamScanner

माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपीलांट का धारा 5 का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना न्यायोचित है।

7. विद्वान अभिभाषक रेसपोडेंट ने तत्पश्चात बहस अपील में कथन किया कि विवादित आराजी वाके ग्राम थोक मालियान तृतीय तहसील व जिला अजमेर में स्थित है। उक्त आराजीयात बंटवारे के बाद स्व0 रामदयाल पुत्र श्री धन्ना को प्राप्त हुंई थी तथा अप्रार्थी संख्या 1 की पत्नी व 2 लगायत 4 की माता स्व0 श्रीमती सावित्री देवी स्व0 रामदयाल जी की पुत्री थी। विवादित आराजी ग्रम थोक तेलियान तृतीय तहसील व जिला अजमेर स्थित पत्रावली में प्ररतुत खसरा नम्बर उक्त विवादित आराजी के बाबत स्व0 रामदयाल पुत्री श्री धन्नालाल के दिनांक 14.05.2007 को फौत होने पर उनके समस्त वारिसान रतनी देवी, अमरचंद, पृथ्वीराज, सौभागचंद, ताराचंद, दौलतराम, छोटूलाल, ब्रमा देवी, मंजू देवी का नाम विरासती नामांतकरण संख्या 424 दिनांक 25.11.2008 के जरिए राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया गया परंतु उक्त नामांतकरण के द्वारा सावित्री देवी के वारिसानों का नाम राजस्व रिकार्ड में बहैसियत खातेदार दर्ज नहीं किया गया जबकि उनका नाम भी 'सावित्री देवी के वारिसानों की हैसियत से राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाना चाहिए। स्व0 रामदयाल जी के अन्य वारिसानों अमरचंद, छोटूलाल, इंद्र व जीतमल के फौत होने पर भी उनके वारिसानों का नाम राजस्व रिकार्ड में जरिए अलग अलग नामांतकरण बहैसियत खातेदार अंकित किया गया, परंतु अप्रार्थीगण का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं किया गया। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत पुत्री को भी अपने पिता की सम्पत्ति में अन्य वारिसानों के समान बराबर अधिकार होता है। सावित्री देवी को विवादित आराजी में 1/9 हिस्सा प्राप्त था, एवं उनके बाद उक्त हिस्सा अप्रार्थीगण का बनता है। प्रथम दृष्टया प्रकरण अप्रार्थीगण के पक्ष में है, क्योंकि अप्रार्थीगण मृतक सावित्री देवी के वारिसान है तथा मृतक सावित्री देवी स्व0 श्री रामदयाल की जाईन्दा पुत्री है। इस प्रकार सावित्री देवी का विवादित आराजी में 1/2 हिस्सा बनता था। सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति भी अप्रार्थी के पक्ष में निहित है। प्रार्थीगण को दौराने वाद पाबंद किया जावे कि वे विवादित आराजी को रहन बय, मुंतकिल न करे तथा ना तो स्वयं एव ना ही अपने एजेंट, रिश्तेदार, आदि से विवादित आराजी में किसी प्रकार मदालखत व दखलअंदाजी उत्पन्न नहीं करें ना किसी और से करावे व मौके एवं राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय विधि सम्मत है, जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है, अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है, कि अपील अपीलांटस को खारिज किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

8. हमने उभयपक्ष द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर की गई बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया बाद अवलोकन हमने पाया कि सर्वप्रथम हम प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण करना उचित समझते है। प्रार्थी द्वारा धारा 5 में किए गए कथन सदभाविक प्रतीत होते हैं, ऐसी स्थिति में अपीलांट द्वारा धारा 5 मियाद अधिनियम में किए गए कथन सदभाविक होने से ऐसी स्थिति में उपरोक्त कारणों से अपीलांट का धारा 5 का प्रार्थना पत्र मियाद अधिनियम को स्वीकार किया जाता है तथा अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

9. हमने उभयपक्ष द्वारा की गई बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया ।पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित आराजियात बाबत् मूल वाद विचारण

Scanned with CamScanner

न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है । उक्त वाद में वादीगण/रेस्पो0 को क्या हक व अधिकार प्राप्त होते है इन समस्त तथ्यों का निर्धारण उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर वाद में किया जाना शेष है । यदि वाद के विचाराधीन रहते विवादित आराजियात का रहन, हस्तातंरण हो जाता है अथवा विवादित आराजियात खुर्द–बुर्द होती है तो पक्षकारान के मध्य ओर अधिक वाद बाहुल्यता बढ़ेगी । वाद के निस्तारण तक वाद की विषयवस्तुत की सुरक्षा का दायित्व न्यायालय का है । पक्षकारों के मध्य और अधिक वाद बाहुल्यता नहीं बढ़े, इसकी रोक हेतु विचारण न्यायालय ने वाद के निस्तारण तक प्रतिवादीगण/अपीलांटस को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया है जो विधिसम्मत् आदेश है जिसमें हमें कोई अनियमितता प्रतीत नहीं होती है। अपील अपीलांटस खारिज योग्य पायी जाती है।

10. अतः अपील अपीलांटस खारिज की जाती है तथा विद्वान अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.02.2021 यथावत् रखा जाता है । पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

11. निर्णय आज दिनांक 10.01.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

Scanned with CamScanner